प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बून मैक्स कान्वेन्ट स्कूल, सुधवै, डीघ
संत रविदास नगर भदोही।

पत्रांकः मान्यता/साक्षरता/933-38 /2013-14/दिनांक 01 जुलाई 2013

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक 31.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत रविदास नगर भदोही बून मैक्स कान्वेन्ट स्कूल, सुधवै, डीघ संत रविदास नगर भदोही को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 30.06.2016 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अँग्रेज़ी माध्यम के कक्षा प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उंसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय क़िसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा।
   - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःषक्तता ग्रस्त/विषेश आवष्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रय का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 0.534 हेक्टेअर
कुल निर्मित क्षेत्र– 7482 वर्ग फिट (दो मंजिला)
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 2 बिस्वा
कक्षाओं की संख्या– 10
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष– 01
बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय–02 बालक/02 बालिका
पेयजल सुविधा– है
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– 01 कक्ष
बाधारहित पहुच– हॉ
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणो/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E/NUP/10/13 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी

के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(स्कन्द शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।

पृ0सं0 मान्यता/ साक्षरता/933-38 /2013–14/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक पंचम मण्डल वाराणसी/विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग अधिकारी संत रविदास नगर भदोही।
5. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) सं0र0न0 भदोही।
6. कार्यालय प्रति।

(स्कन्द शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।